न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 05/2020 – रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सहाडा	बनाम	1. कमलेश उर्फ भगवती लाल पिता नारायण कलाल (सुवालका) निवासी सुरावास 2. इन्द्रा पुत्री नारायण कलाल 3. रेखा पुत्री नारायण कलाल 4. बसन्ती पुत्री नारायण कलाल 5. कमला पत्नी नारायण कलाल 6. सत्यनारायण पिता नंदलाल कलाल 7. ओमप्रकाश पिता नंदलाल कलाल 8. रोशनलाल पिता नंदलाल कलाल 9. ममता पुत्री नंदलाल कलाल 10. माया पुत्री नंदलाल कलाल 11. संजय पिता प्रभुलाल कलाल 12. रेणु पुत्री प्रभुलाल कलाल 13. पिंकी पुत्री प्रभुलाल कलाल 14. मंजू पत्नी प्रभुलाल कलाल (सुवालका) निवासीयान सुरावास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा –(विपक्षीगण)
–(प्रार्थी)		

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.8..2020

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./2013/4026/भीलवाडा सरकार बनाम नंदलाल कलाल निर्णय दिनांक 10.01.2020 में अंकन किया गया कि प्रस्तुत रेफरेन्स में दिनांक 15.08.1947 अर्थात संवत् 2004 का रिकार्ड प्रस्तुत नही किया हैं। अब्दुल रहमान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि पानी के बहाव की दिनांक 15.08.1947 की स्थिति बहाल करनी हैं। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि संवत् 2004 के राजस्व रिकार्ड अभिलेख पर

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे।

न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 10.01.2020 के निर्देशानुसार तहसीलदार सहाडा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार –

1. ग्राम सुरावास पटवार मण्डल सुरावास की आराजी सं. 01 रकबा 14.11 बीघा भूमि किस्म नदी (चंद्रभागा) राजस्व रिकार्ड संवत् 2003 के खाता संख्या 854 में बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी तथा संवत् 2010 में भी उक्त आराजी सं. 01 रकबा 14.11 बीघा भूमि किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी तथा संवत् 2049–52 में भी उक्त आराजी सं. 01 रकबा 3.67 हैक्ट. किस्म नदी होकर खाता सं. 02 पर नदियां तथा नाले में दर्ज रिकार्ड थी।
2. उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के आवंटन आदेश क्रमांक/विविध/346–49 दिनांक 16.01.1993 से उक्त आराजी सं. 01 रकबा 3.67 हैक्ट. किस्म नदी में से 0.05 हैक्ट. भूमि अप्रार्थीगण के पिता/दादा नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल (सुवालका) निवासी सुरावास तहसील सहाडा के पक्ष में कुआं हेतु गैर खातेदारी हक से लीज पर आवंटन/नियमन हुयी, जो नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 06.08.1993 से आराजी सं. 1/1 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि अप्रार्थीगण के पिता नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल निवासी सुरावास के नाम दर्ज रिकार्ड हुयी, जिसके नवीन आराजी नं. 3049/1 रकबा 0.05 हैक्ट. बने। अप्रार्थीगण के पिता/दादा नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल (सुवालका) निवासी सुरावास तहसील सहाडा के पक्ष में उक्त आवंटन/नियमन डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 उनवान अब्दुल रहमान बनाम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशों के विपरीत हैं, तथा 15.08.1947 के पश्चात् जल स्त्रोतों तक बरसात का पानी पहुंचाने वाले साधन यथा नाला, ट्रिब्यूटी, पायतन, तालाब एवं प्राकृतिक जल स्त्रोतों यथा तालाब, बांध, नदी, जोहड की भूमियों में किये गये अनियमित आवंटन को निरस्त कराने की श्रेणी में आता है। जिससे उक्त नियमन/आवंटन आदेश निरस्त योग्य हैं।
3. अप्रार्थीगण के पिता/दादा नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल (सुवालका) निवासी सुरावास की मृत्यु हो जाने से भूमि विरासत अनुसार जरिये नामान्तरकरण संख्या

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

5

1400 दिनांक 21.01.2019 से उनके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुयी। उक्त भूमि ग्राम सुरावास के आराजी नं. 3049/1 रकबा 0.05 हैक्ट. किस्म गे.मु. आचा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

4. उक्त भूमि जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिबंधित भूमि हैं तथा उक्त आराजी नं. 01 रकबा 3.67 हैक्ट. जिसकी किस्म नदी होने के कारण इस भूमि का आवंटन/नियमन नही किया जा सकता था।

5. अतः रेफरेन्स प्रतिवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरावास पटवार मण्डल सुरावास की आराजी संख्या 3049/1 रकबा 0.05 हैक्ट. किस्म गैर मुमकिन आचा भूमि को पुनः किस्म नदी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे व अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाये।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल. आर./2013/4026/भीलवाडा सरकार बनाम नंदलाल कलाल निर्णय दिनांक 10.01.2020 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 16.06.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम सुरावास पटवार मण्डल सुरावास की आराजी सं. 01 रकबा 14.11 बीघा भूमि किस्म नदी (चंद्रभागा) राजस्व रिकार्ड संवत् 2003 के खाता संख्या 854 में बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी।

संवत् 2010 में भी उक्त आराजी सं. 01 रकबा 14.11 बीघा भूमि किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

संवत् 2049–52 में भी उक्त आराजी सं. 01 रकबा 3.67 हैक्ट. किस्म नदी होकर खाता सं. 02 पर नदियां तथा नाले में दर्ज रिकार्ड थी। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के आवंटन आदेश क्रमांक/विविध/346–49 दिनांक 16.01.1993 से उक्त आराजी सं. 01 रकबा 3.67 हैक्ट. किस्म नदी में से 0.05 हैक्ट. भूमि अप्रार्थीगण के पिता/दादा नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल (सुवालका) निवासी सुरावास तहसील सहाडा के पक्ष में कुआं हेतु गैर खातेदारी हक से लीज पर आवंटन/नियमन हुयी, जो नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 06.08.1993 से आराजी सं. 1/1 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि अप्रार्थीगण के पिता

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल निवासी सुरावास के नाम दर्ज रिकार्ड हुयी, जिसके नवीन आराजी नं. 3049/1 रकबा 0.05 हैक्ट. बने।

नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल (सुवालका) निवासी सुरावास की मृत्यु हो जाने से भूमि विरासत अनुसार जरिये नामान्तरकरण संख्या 1400 दिनांक 21.01.2019 से कमलेश उर्फ भगवती लाल इन्द्रा रेखा बसन्ती पिता नारायण कमला पत्नी नारायण 1/7, सत्यनारायण ओमप्रकाश रोशनलाल ममता माया पिता नंदलाल 5/7 संजय रेणु पिंकी पिता प्रभुलाल मंजु पत्नी प्रभूलाल 1/7 कलाल के नाम दर्ज हुयी। उक्त भूमि ग्राम सुरावास के आराजी नं. 3049/1 रकबा 0.05 हैक्ट. किस्म गे.मु. आचा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है।

अप्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के आवंटन आदेश क्रमांक/विविध/ 346–49 दिनांक 16.01.1993 से उक्त आराजी सं. 01 रकबा 3.67 हैक्ट. किस्म नदी में से 0.05 हैक्ट. भूमि अप्रार्थीगण के पिता/दादा नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल (सुवालका) निवासी सुरावास तहसील सहाडा के पक्ष में कुआं हेतु गैर खातेदारी हक से लीज पर आवंटन/नियमन हुयी, जो नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 06.08.1993 से आराजी सं. 1/1 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि अप्रार्थीगण के पिता नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल निवासी सुरावास के नाम दर्ज रिकार्ड हुयी, जिसके नवीन आराजी नं. 3049/1 रकबा 0.05 हैक्ट. बने। ग्राम सुरावास तहसील सहाडा में स्थित आराजी सं. 01 रकबा 14.11 बीघा भूमि किस्म नदी (चंद्रभागा) राजस्व रिकार्ड संवत् 2003 के खाता संख्या 854 में बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड थी। जिसका आवंटन काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने के बावजूद आंवटन किया गया जो खारिज योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू–भाग की किस्म नदी (चंद्रभागा) अंकित थी। ऐसी भूमि के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार होकर आवंटन आदेश व संस्थित किए गए नामान्तरकरण को निरस्त कराया जाना युक्ति–युक्त हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं0 11153/2011 में पारित

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

7

निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, सहाडा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम सुरावास तहसील सहाडा में स्थित आराजी नंबर 1 रकबा 14.11 बीघा किस्म नदी (चंद्रभागा) जमाबंदी संवत् 2003 के अनुसार बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड अंकित है। उक्त आराजी भू–भाग में से रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि गैरखातेदारी हक से नामान्तरकरण आदेश दिनांक 06.08.1993 से अप्रार्थीगण के पिता/दादा नंदलाल पिता मांगीलाल कलाल को आवंटन होने से राजस्व अभिलेख में गैरखातेदारी हक से दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् आवंटी नंदलाल का स्वर्गवास हो जाने से विरासत से उक्त आराजी भू–भाग जरिये नामान्तरकरण संख्या 1400 दिनांक 21.01.2019 से कमलेश उर्फ भगवती लाल इन्द्रा रेखा बसन्ती पिता नारायण कमला पत्नी नारायण 1/7, सत्यनारायण ओमप्रकाश रोशनलाल ममता माया पिता नंदलाल 5/7 संजय रेणु पिंकी पिता प्रभुलाल मंजु पत्नी प्रभूलाल 1/7 कलाल के नाम दर्ज हुयी। उक्त भूमि ग्राम सुरावास के आराजी नं. 3049/1 रकबा 0.05 हैक्ट. किस्म गे.मु. आचा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। जिसे विपक्षीगण के नाम से खारिज कर पुनः आराजी नंबर 3049/1 रकबा 0.05 हैक्ट. भूमि किस्म गे.मु. नदी बिलानाम दर्ज करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.8.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा